

उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी, 2022

चर्चा में क्यों?

21 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (हथकरघा एवं कपड़ा) डॉ. नवनीत सहगल की अध्यक्षता में टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी, 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिये बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बदु

- इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने के साथ ही हथकरघा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवशकों को आकर्षित करना है।
- इसके अंतर्गत उद्यमियों को 40% तक की पूँजी निवश सब्सिडी के साथ ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रस्तावित नीति में प्रवांचल और बुंदेलखंड के निवशकों को अतिरिक्ति लाभ दिया जाएगा।
- नई नीति में शत-प्रतिशित स्टांप शुल्क एवं भूमि लागत अनुदान देने का प्रावधान किया जा रहा है।
- राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात सब्सिडी और बिजली शुल्क में छूट भी दी जाएगी, साथ ही निजी टेक्सटाइल पार्क विकसित करने वाले विकासकर्ताओं को 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
- गौरतलब है कि किपड़ा और परिधान नीति, 2017 के तहत हथकरघा और कपड़ा क्षेत्र में निवश के 79 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 53 सूक्ष्म, लघु
 और मध्यम उदयमों (एमएसएमई) के लिये और 26 बड़े, मेगा और सुपर मेगा उदयोगों के लिये थे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttar-pradesh-textiles-and-garment-policy-2022